

२४/॥५ पटावली पेशी में ली गई। अर्थात् वं.।
हाजिर नहीं इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। धार्मिक अविषय
को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है तथा स्थगन आदेश
दिनांक 30/5/2025 ता. फैसला वाड्ड
Confirm किया जाता है पटावली नेवट
से कम की जाकर दायित्व देपल
की जाती है आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़